

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिले में पदस्थापित श्रेत्रीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी का मोबाईल नं० Save नहीं रखते है। फलस्वरूप बात करने के दौरान अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है।

अतः जिले के सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे जिलाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी का मोबाईल नं० अपने सरकारी मोबाईल/व्यक्तिगत मोबाईल में Save करना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी पदाधिकारियों को दी जाय।

जिलाधिकारी, मधेपुरा के आदेशानुसार

30/-

जिला स्थापना उप समाहर्ता,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 717-2/स्था०, मधेपुरा, दिनांक-१० अगस्त 2014

प्रतिलिपि :- सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला स्थापना उप समाहर्ता,  
मधेपुरा।